राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)

(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत अरटी)

राजस्व आवेदन सं. 04./2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी नारायण पुत्र श्री सदराम बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी नारायण पुत्र श्री सदराम निवासी मोगावा, सुथारो की ढाणी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का हाथला, राजस्व गांव मोगावा के खाता संख्या क्रमशः 35, 37 के खसरा संख्या क्रमशः 206/71, 207/96, 209/96, 203/71 रकबा क्रमशः 2.0153, 3.0270, 1.0036, 3.0270 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2073–76, में उनका नाम नारणाराम पुत्र श्री सदराम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्व नाम नारणाराम पुत्र श्री सदराम के स्थान पर नारायण पुत्र श्री सदराम है इस तरह उनका नाम नारणाराम पुत्र श्री सदराम के स्थान पर नारायण पुत्र श्री सदराम दुरूस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी नारायण पुत्र श्री सदराम का पटवार हल्का हाथला, राजस्व गांव मोगावा के खाता संख्या क्रमशः 35, 37 के खसरा संख्या क्रमशः 206/71, 207/96, 209/96, 203/71 रकबा क्रमशः 2.0153, 3.0270, 1.0036, 3.0270 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2073–76, में प्रार्थी का नाम नारणाराम पुत्र श्री सदराम के स्थान पर नारायण पुत्र श्री सदराम करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सेड़वा

क्रमांकः– 10-12

दिनांक : 5/01/26

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी नारायण पुत्र श्री सदराम निवासी मोगावा, सुथारो की ढाणी तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा